रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 77] नई दिल्ली मंगलवार, अप्रैल 3, 1973/चैत्र 13, 1895

No. 77] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 3, 1973/CHAITRA 13, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi the 3rd April 1973

No. RS. 1/1/73-L.—The following order by the President, dated the 2nd April, 1973, is published for general information:—

"In exercise of the powers conferred upon me by sub-clause (a) of clause (2) of article 85 of the Constitution, I hereby prorogue the Rajya Sabha.

V. V. GIRI,
President."

The 2nd April, 1973.

B. N. BANERJEE, Secy

राज्य सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1973

सं० आर० एस० 1/1/73–एल०.—राष्ट्रपति द्वारा दिया गया निम्नलिखित आदेश, दिनांक 2 अप्रैल, 1973 आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"संविधान के अनुच्छेद 85 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद् द्वारा राज्य सभा का सत्रावसान करता हूं।

वी० वी० गिरि,

2 अप्रैल, 1973 राष्ट्रपति।

बी० एन० बनर्जी, सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI 1973